

Name :- Kajal Singh.

Roll No :- 80

Subject :- Political (Sec)

प्रश्न

संघर्ष प्रबंधन और संघर्ष समाधान पर एक संक्षिप्त नोट लिखें ?

उत्तर

प्रस्तावना (Introduction)

संघर्ष प्रत्येक समाज में गुप्त रूप से विद्यमान है। कुछ समाजों में यह क्षिप्त रहता है तथा कई अन्य समाजों में यह हिंसा और विनाश के रूप में प्रकट होता है। संघर्ष व्यक्तिगत, पारिवारिक, राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर होता है। इस प्रकार, विश्लेषण का आधार और अभिकर्तृओं का स्वरूप प्रत्येक मामले में भिन्न होता है। इन्हीं के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तीन जुद्ध हुए और कई बार संकटकालीन स्थितियाँ बनीं। दक्षिण एशिया कई दीर्घकालिक संघर्षों का क्षेत्र है।

संघर्ष क्या है ?

संघर्ष मानव सम्बन्धी में सतत रहने वाली एक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति व्यक्ति के बीच सहयोग नहीं होता अथवा जब वे एक दूसरे के प्रति तटस्थ भी नहीं होते, तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो ही जाती है।

Conflict शब्द लैटिन भाषा के Con + Flicto से मिलकर बना है। संघर्ष का अर्थ है लड़ना, उभुलव के लिए संघर्ष करना, विरोध करना, किसी पर काबू पाना आदि। संघर्ष दो वर्गों में या समूहों के बीच संशय प्रतिरोध, लड़ाई या युद्ध संघर्ष है विपरीत सिद्धान्तों, कथनों, तरीकों, विचारों, मता और पसंद के बीच असामंजसपूर्ण व्यवहार भी संघर्ष है।

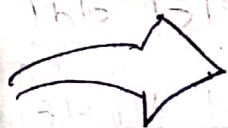
⇒ गिलीन एवं गिलीन :- के अनुसार संघर्ष " वह सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अथवा समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए विरोधी के प्रति प्रयत्न दिखाया या हिंसा की धमकी का प्रयोग करते हैं। "



ए. डब्ल्यू ग्रीन,

"दूसरी या दूसरी की इच्छा के विरोध,

प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को संघर्ष कहते हैं।



जैसेफ ए लिटर के अनुसार,

"संघर्ष उन स्थितियों

का वर्णन करता है जिसमें व्यक्ति या समूह साधन या अंत से असहमत होते हैं और दूसरी के लिए अपने विचारों को स्थापित करने की कोशिश करते हैं।



कालि माक्स,

"के हारा संघर्ष सिद्धांत यह बताता है कि परिमित

संसाधनों के लिए समाज की कभी न खत्म होने वाली प्रतियोगिता के कारण। यह हमेशा संघर्ष की स्थिति में रहेगा। इस सिद्धांत का निहितार्थ यह है कि धन और संसाधनों के कब्जे वाले लोग उन संसाधनों की रक्षा और जमावदारी करेंगे, जबकि उन लोगों के बिना जो कुछ भी वे उन्हें प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। यह गतिशील साधन अमीर और गरीब के बीच विरंतर संघर्ष है।

संघर्ष प्रबंधन (Conflict Management)

संघर्ष समाधान की दिशा और प्रक्रिया में आवश्यक प्राथमिक कदम के रूप में माना जाता है। दूसरे शब्दों में, संघर्ष समाधान की अवस्था में पहुँचता है अथवा नहीं यह अंशतः उन तरीकों पर निर्भर करता है जिनके अनुसार यह संभव होता है। संघर्ष प्रबंधन प्रक्रिया में कई उपाय अपनाने पड़ते हैं जिनमें प्रतिपक्षियों के बीच संचार और पारस्परिक अंतर्क्रियाएँ कायम करना, द्विंसा को समाप्त / कम करने के लिए व्यवस्था करना और उनकी समस्या के राजनीतिक हल के लिए बदलों की पचनबहुता प्राप्त करना शामिल है।

शान्ति प्रक्रिया के लिए अन्तिम उपाय मणि प्रशस्त करता है जिसकी सफलता कथित संघर्ष के समाधान का निर्धारण करेगी।

जॉन बर्टन संघर्ष प्रबंधन में तीन महत्वपूर्ण संघटक पाते हैं।

1. भागीदारी
2. संचार
3. पक्ष

प्रथम संघर्ष के प्रति उभय दलों द्वारा भागीदारी की "कौटि और गुणवत्ता" है। इसमें "समझौता कराने की उपलब्ध शक्ति, विणय करने वाली समन्वय संस्था अथवा फोरम" है। पर प्रभाव, उपलब्ध ज्ञान और वातालाप की निपुणता, और सहभागियों के अन्य प्रभावी लक्षण शामिल हैं।

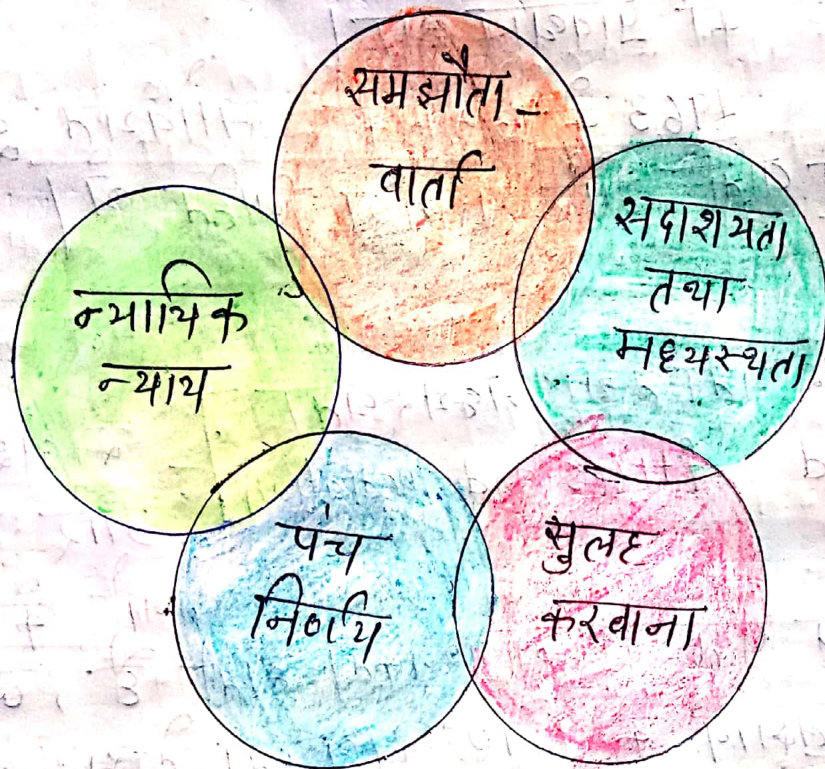
दूसरे, "दलों के बीच संचार की कौटि और गुणवत्ता" है जिसमें स्वार्थ के कारों में उनका धीरे और समझदारी, सूचना प्राप्त करने और उसे संचरित करने की योग्यता शामिल है।

तीसरा, "चाहे कोई तीसरा दल अन्तर्ग्रस्त है, वहाँ निवि लेने की शक्ति की कौटि, तटस्थता की कौटि, विश्लेषण निपुणता का स्तर और तीसरे दल के अन्य लक्षण शामिल हैं।"

संघर्ष समाधान (Conflict Resolution)

संघर्षों का कई प्रकार से समाधान किया जा सकता है। कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीके पंचायत, मध्यस्थता और प्रत्यक्ष वातालाप हैं। यह संघर्ष समाधान के पुराने तरीकों में से एक है। कथित संघर्ष न्यायाधिकरण अथवा अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय को भेज दिया जाता है।

संघर्ष समाधान के उपाय



1. समझौता-वार्ता (Negotiation) :- संघर्षरत राज्यों के बीच वार्ता या तो

द्विपक्षीय होती है, या फिर बहुपक्षीय भी हो सकती है।
या फिर उन देशों के राजदूतों अथवा विशेष प्रतिनिधियों के बीच हो सकती है।
जिन राज्यों के मध्य-हित-तक़राब है उनके बीच में वार्ता अन्तरपट्टीय सम्मेलन के माध्यम से भी हो सकती है।
वार्ता, सदाशयता, मध्यस्थता तथा समझौता इत्यादि पंच निगमि और न्यायिक निगमि की अपेक्षा विवादों को निपटने की

कम औपचारिक उपाय होते हैं।

उदाहरण :- 1965 के ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड
मुक्त व्यापार समझौते में परामर्श
का प्रावधान था।

1963 के अमेरिकी-सोवियत दूरसंचार
समझौते में वार्ता और परामर्श निहित थे।

2. [सदाशयता तथा मध्यस्थता]
[Good offices and mediation] - सदाशयता
और मध्यस्थता

तीसरे मित्र पक्ष की आवश्यकता होती है, जो कि
विवाद सुलझाने के लिए सहायता दे सकता है।

सदाशयता अथवा मध्यस्थता का प्रस्ताव या सुझाव
करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, चाहे फिर कोई
अन्तरराष्ट्रीय संगठन। सदाशयता में कोई तीसरा
पक्ष विवाद में किसी दोनों पक्षों को एक मंच पर
लेकर समझौते का सुझाव देता है। परन्तु वह स्वयं
प्रत्यक्ष रूप से समझौता-वार्ता में शामिल नहीं होता।

मध्यस्थता में मध्यस्थ की भूमिका अधिक सक्रिय
होती है, जिसमें वह स्वयं वार्ता में शामिल होकर
शान्तपूर्ण समाधान के लिए प्रयास कर सकता है।

उदाहरण - (1) 1966 में ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराने के लिए पूर्व सोवियत संघ ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

(2) श्रीलंका - एल. टी. टी ई. संघर्ष सुलझाने में सहायता के लिए नार्वे में सदाशयता का सुझाव दिया था।

सुलह करवाना (CONCILIATION) :- सुलह करवाने की प्रक्रिया में दोनों शामिल होते हैं। कोई व्यक्ति या आयोग विरोधी पक्षों में सुलह करवाने का प्रयास कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र में सुलह करवाने के अनेक प्रयास किए हैं। सुलह करवाने के आयोगों का प्रावधान हेग (The Hague) के 1899 और 1907 के दस्तावेजों में किया गया है। इस प्रकार के आयोगों की स्थापना संयुक्त पक्षों के मध्य किए गए विश्व समझौते के द्वारा दी जाती है। यह आयोग जांच-पड़ताल करके उस अपनी सिफारिश करता है। परन्तु ये सिफारिश बाध्यकारी नहीं होती है। बौगोटा समझौते, 1948 में इस प्रकार के आयोग की व्यवस्था है।

4. पंच निधि (Arbitration) :- पंच निधि में विवाद कुछ ऐसे व्यक्तियों को सौंपा

जाता है जो कि पंच कहलाते हैं। इन व्यक्तियों को दोनों पक्ष स्वेच्छा से चुनते हैं। वे अपना निधि देने में किसी कानूनी बाधा से बंधे नहीं होते हैं। विभिन्न देशों के द्वारा दस्तावर की गई अनेक संधियों में विवाद समाधान के लिए पंच निधि के प्रावधान पार जाते हैं। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सम्पन्न 1794 की वे संधि में आपसी विवादों के समाधान के लिए पंच निधि की व्यवस्था की गई है।

उदाहरण :- सन् 1872 के ब्रिटेन और अमेरिका के विवाद संबंधी अलाबामा विवाद में किए गए निधि में पंच निधि के मद्देन को स्थापित एवं सिद्ध किया था।

5. न्यायिक उपाय :- मोटे तौर पर संधि समाधान के लिए दो न्यायिक प्रक्रियाएँ होती हैं। पंच निधि तथा न्यायिक निधि। विवादों का समाधान प्रायः अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किया जाता है। दोनों ही प्रक्रियाओं में न्यायाधिकरण के निर्णय सम्बद्ध पक्षों पर बाध्य होते हैं।

न्यायिक प्रक्रिया प्रायः अधिक उभावी होती है।
क्योंकि सम्बद्ध पक्ष उसे स्वैच्छा से अपनाते हैं,
और स्वयं को नियम से साध्य करते हैं।

अन्तराष्ट्रीय न्यायालय राज्यों के कानूनी
विवादों का उनकी स्वैच्छक न्यायिक विकल्प
अपनाने पर सुनवाई करता है। तथा नियम देता
है। यह अन्तराष्ट्रीय कानून के नियमों के अनुसार
काम करता है। हेग में स्थित अन्तराष्ट्रीय
न्यायालय, राष्ट्रसंघ के कथिकाल के अन्तराष्ट्रीय
न्याय के स्थायी न्यायालय का उत्तराधिकारी है।

निष्कर्ष (CONCLUSION)

उपशुक्त हमने विवादों को दल करने के लिए
महत्वपूर्ण कूटनीतिक और आधेनियमन विधियों
का वर्णन किया है। कूटनीतिक विधि की यह
विशेषता है कि विवादग्रस्त तथा पारस्परिक वांछ
या मह्यस्य की सहायता से मुद्दे पर विचार
कर विवाद का समाधान करने के लिए
सहमत हो जाना।